प्रेस नोट संख्या 21

दिनांक 21.02.2026

सराहनीय कार्य थाना इन्हौना पुलिस

पुलिस मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के साथ कुल 06 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 02 चापड़, 01 लकड़ी का ठीहा, तराजू व बांट, 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 20.02.2026 को थाना इन्हौना पुलिस को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पहाड़पुर के जंगल में 1.जुनैद पुत्र जान मोहम्मद, 2.उमेर पुत्र जान मोहम्मद, 3.महमूद पुत्र अंसार, 4.सहवान राजा पुत्र मो0 शब्बीर व 5.सना परवीन पत्नी उमेर निवासीगण ग्राम पहाडपुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी द्वारा गोकशी की घटना कारित की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया कि 04 पुरुष व 01 महिला गोकशी की घटना कारित कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो सभी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मौके से पुलिस टीम द्वारा गोवंश के अवशेष, गोकशी करने के उपकरण व अपाचे मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 यू 3089 को बरामद किया गया। उक्त घटना के संबन्ध में थाना इन्हौना पर मु0अ0सं0 10/26 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। **उक्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबन्ध में पुलिस अधीक्षक अमेठी महोदय द्वारा टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.02.2026 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में श्री विवेक सिंह थानाध्यक्ष इन्हौना जनपद अमेठी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गोकशी की घटना में संलिप्त जुनैद पुत्र जान मोहम्मद जोकि गन्दा नाला से सेमरौता रोड की ओर स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल से जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करने पर मोटसाइकिल सवार व्यक्ति अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गया और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग करने पर अभियुक्त घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त का नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम **जुनैद पुत्र जान मोहम्मद निवासी पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष** बताया जिसके **कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के कागज मांगने पर दिखा न सका।**

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 20.02.2026 को पहाड़पुर जंगल में उसने अपने भाई उमेर, उसकी पत्नी सना परवीन, महमूद पुत्र अंसार, शहवान राजा पुत्र मो0 शब्बीर, महमूद की मां हदीसुलनिशा व अलीम पुत्र इनायतउल्ला जोकि उसके ही गांव के निवासी हैं, के साथ मिलकर गोकशी की घटना किये थे। घटना में सम्मिलित अन्य लोग गन्दा नाला के पास बायें तरफ मुर्दाघर में बने खण्डहर में एक कमरे में हैं जोकि चारपहिया वाहन का इन्तजार कर रहे हैं। घायल को उपचार हेतु पुलिस बल के साथ अस्पताल भेजा गया।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के बताये गये स्थान पर घेराबन्दी कर 05 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर **पहले ने अपना नाम उमेर पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष, दूसरे ने अपना नाम शहवान राजा पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष, तीसरे ने अपना नाम अलीम पुत्र इनायतउल्ला निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष, चौथे ने अपना नाम शना परवीन पत्नी उमेर निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष व पांचवे ने अपना नाम हदीसुलनिशा पत्नी अंसार निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 46 वर्ष** बताया। **तलाशी से कमरे में 01 प्लास्टिक की बोरी व 01 झोला मिला जिसमें 01 लकड़ी का ठीहा, 02 चापड़, तराजू व बांट बरामद हुआ।**

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह सभी मिलकर गोवंशो को जंगलों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर रस्सी से बांध देते थे तथा समय व मौका पाकर गोकशी करके आपस में बांट लेते थे तथा बेंच देते थे। आज वह सभी लखनऊ भागने के लिए चारपहिया गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना इन्हौना पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. जुनैद पुत्र जान मोहम्मद निवासी पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष। **(पुलिस मुठभेड़ में)**
2. उमेर पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष।
3. शहवान राजा पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष।
4. अलीम पुत्र इनायतउल्ला निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष।
5. शना परवीन पत्नी उमेर निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष।
6. हदीसुलनिशा पत्नी अंसार निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव थाना इन्हौना जनपद अमेठी उम्र करीब 46 वर्ष।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
2. घटना में प्रयुक्त स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट।
3. गोकशी के विभिन्न उपकरण **(01 लकड़ी का ठीहा, 02 चापड़, तराजू व बांट)**।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

1. मु0अ0सं0 10/26 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशुक्रूरता अधिनियम थाना इन्हौना जनपद अमेठी। **(में वांछित)**
2. मु0अ0सं0 11/26 धारा 109 बी0एन0एस0 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विवेक सिंह थानाध्यक्ष थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 कृष्ण मोहन मिश्रा थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
4. हे0का0 विनोद चौधरी थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
5. का0 प्रदुम्न प्रजापति थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
6. का0 कन्हैया यादव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
7. का0 अभिषेक यादव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
8. म0का0 सारिका विश्नोई थाना इन्हौना जनपद अमेठी।